न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

मुकदमां नम्बर :– 201/00151 निर्णय दिनांक :– 17/8/2021

सुगनाराम पुत्र प्रभूराम जाट निवासी झालरा तहसील परबतसर

.....वादी

बनाम

1.भंवरलाल पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी झालरा
2.राधा पुत्री कामड़राम पत्नी उगमाराम जाट निवासी हाल भड़सियां
3.रूकमादेवी पुत्री कामड़राम फौत के कायम मुकामान
3/1 हीराराम पुत्र गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/2 भींयाराम पुत्र गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/3 छोटूराम पुत्र गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/4 जोराराम पुत्र गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/5 मीरा पुत्री गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/6 सायरी पुत्री गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/7 कमला पुत्री गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
4.हल्का पटवारी झालरा
5.तहसीलदार, परबतसर

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खातेदारी धोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती
उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादी
श्री भंवरलाल कटारियां अधिवक्ता प्रतिवादी 1 से 3

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम झालरा के खसरा नम्बर 155 रकबा 7.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 551 रकबा 2.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 362, 363, 364, 365, 366, 367 कुल रकबा 7.70 हैक्टयर भूमि स्थित है। वादी व प्रतिवादी 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य तथा कामड़राम के विधिक वारिसान है उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी 1 का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त है वादी के काका जीवणराम अपने जीवनकाल में उक्त भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त थे वादी के काका

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

जीवणराम का स्वर्गवास होने के बाद उक्त उनके स्थान पर वादी की काकी जीवणीदेवी की खातेदारी दर्ज हुई, वादी की काकी जीवणीदेवी का स्वर्गवास दिनांक 11.07.2018 को हो चुका है, वादी के काका जीवणराम व काकी जीवणीदेवी के कोई जाईन्दा ओलाद नहीं है वादी व प्रतिवादी 1 ने ही अपनी काकी की सेवाचाकरी की थी तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधिक वारिसान है प्रतिवादी 2 व 3 का जीवणी देवी की जमीन कोई हक हिस्सा नहीं बनता है वर्षो पहले प्रतिवादी 2 व 3 ने हकत्याग अपने भाई प्रभूराम व जीवणराम के पक्ष में कर दिया था ना ही प्रतिवादी 2 व 3 का इस भूमि पर कोई कब्जा काश्त है। प्रतिवादी 2 व 3 के वारिसान की सहमति भी वादी व प्रतिवादी 1 के पक्ष में है, जिसके बाजवूद पटवारी हल्का द्वारा जीवणीदेवी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी 1 का नामानतकरण संख्या 151 दिनांक 20.09.2018 को खोले जाने के बाद भी आगे कार्यवाही नहीं की है, जिससे वादी ने यह वाद पेश कर ग्राम झालरा के खसरा नम्बर 155 रकबा 7.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 551 रकबा 2.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 362, 363, 364, 365, 366, 367 कुल रकबा 7.70 हैक्टयर भूमि में जीवणदेवी पत्नी जीवणरामके स्थान पर वादी व प्रतिवादी 1 के नाम खातेदारी घोषणा किये जाने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 25.03.2019 को प्रतिवादी 1 से 3 की ओर अधिवक्ता श्री भंवरलाल कटारियां ने इकबालिया जबाब पेश तथा दिनांक 20.11.2019 को प्रतिवादी 4, 5 की ओर से जबाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किए जाने से साक्ष्य पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजा एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया है कि ग्राम झालरा के खसरा नम्बर 155 रकबा 7.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 551 रकबा 2.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 362, 363, 364, 365, 366, 367 कुल रकबा 7.70 हैक्टयर भूमि में जीवणराम, प्रभूराम राधादेवी व रूकमादेवी खातेदार काश्तकार थे। जिनमें प्रतिवादी राधादेवी व रूकमादेवी ने अपना हक हिस्सा अपने दोनों भाई

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

प्रभूराम व जीवणराम के पक्ष में हकत्याग कर दिया था, जिसके बाद जीवणराम का स्वर्गवास होने पर जीवणराम की पत्नी जीवणीदेवी के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। वर्तमान में जीवणीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा जीवणराम व जीवणीदेवी के कोई जाईन्दा पुत्र व पुत्री नहीं है, जिससे जीवणीदेवी के नाम दर्ज भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2075–78 पेश की है, जिसके अनुसार ग्राम झालरा के खसरा नम्बर 155 रकबा 7.04 हैक्टयर में जीवणीदेवी 1/2 हिस्से की खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 551 रकबा 2.22 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि जीवणीदेवी की खातेदारी में दर्ज है व खसरा नम्बर 362, 363, 364, 365, 366, 367 कुल रकबा 7.70 हैक्टयर भूमि में जीवणीदेवी पत्नी जीवणराम के नाम 1/12 हिस्से की खातेदारी दर्ज है। वादी ने वाद में जो सजरा खानदान पेश किया है जिसके अनुसार कामड़राम के दो पुत्र प्रभूराम व जीवणराम तथा दो पुत्रीयां राधा, रूकमा है, जिसमें जीवणराम फौत हो गया जिसके वारिस जीवणीदेवी पत्नी है जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके कोई वारिसान है, तथा प्रभूराम फौत हो चुका है जिसके वारिसान में पत्नी कोयली, भंवरलाल, सुगनाराम वारिसान है जिसमें भी कोयलीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा रूकमादेवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारसिान प्रतिवादी 3/1 से 3/7 है, तथा वादी ने एक शपथ पत्र की छाया प्रति पेश की है जिसमें जीवणदेवी का सजरा खानदान दिया है जिसके अनुसार जीवणीदेवी के प्रभूराम जो रिस्ते में जेठ लगता है तथा प्रभूराम के वारिसान में कोयली, भंवरलाल, सुगनाराम वारिसान होना बताया है। रिकार्ड से यह सिद्ध होता है कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है, जो कामड़राम से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है सजरा खानदान के अनुसार कामड़राम के दो पुत्र प्रभूराम व जीवणराम तथा दो पुत्रीयां राधा, रूकमा जिनमें केवल राधा ही जीवित है प्रभूराम व जीवणराम व रूकमा का स्वर्गवास हो चुका है, जीवणराम के कोई वारिसान जीवित नहीं है, प्रभूराम के वादी व प्रतिवादी 1 तथा प्रतिवादी 2 स्वंय व प्रतिवादी 3 के वारिसान प्रतिवादी 3/1 से 3/7 जीवित है। सजरा खानदान के अनुसार जीवणराम के वारिसान में प्रभूराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी 1 व बहिन राधा तथा बहिन के बच्चे प्रतिवादी 3/1 से 3/7 जीवित है, प्रतिवादी 2 राधादेवी व प्रतिवादी 3 रूकमादेवी द्वारा अपना हक हिस्सा प्रभूराम व जीवणराम के पक्ष में हकत्याग कर दिया हो ऐसा कोई दस्तोवज पेश नहीं किया है,

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

केवल जीवणराम व जीवणीदेवी लाऔलाद फौत हो जाने मात्र से उनके हक हिस्से सम्पूर्ण भूमि में वादी व प्रतिवादी 1 को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, क्योंकि जीवणराम के विधिक वारिसान में राधा, रूकमादेवी भी नोशनल शेयर के अनुसार वारिसान है, यह मान भी लिया जावे की राधा, रूकमादेवी द्वारा अपना हक हिस्सा हकत्याग कर दिया हो तथा जीवणराम व जीवणीदेवी के कोई विधिक वारिसान नहीं हो तो फौतगी नामान्तकरण के जरिये विधिवत जांच के बाद वादी अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा सकता है। विधिक वारिसान की जांच स्थानिय ग्राम पंचायत हल्का पटवारी द्वारा ही की जा सकती है, या वादी सक्षम न्यायालय से जीवणराम का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करावे, केवल मात्र मौखिक रूप से जीवणराम व जीवणीदेवी के कोई वारिसान होने का कहने मात्र से जीवणीदेवी की खातेदारी समाप्त कर वादी व प्रतिवादी 1 दोनों को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है, पुश्तैनी हक हिस्से की भूमि में सभी वारिसान का बराबर का अधिकार होता है, प्रतिवादी 2 व 3 द्वारा अपना पैतृक हक हिस्से की भूमि का अपने भाई प्रभूराम व जीवणराम के पक्ष मे हकत्याग किया हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे जीवणराम व जीवणदीवी की भूमि में अकेले वादी व प्रतिवादी 1 का खातेदारी अधिकार पाने का कानूनी अधिकार नहीं है जिससे वादी का वाद साबित नहीं होता है। स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः वादी का वाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17/8/24 .....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/8/24

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)
अदालतः– उपखण्ड अधिकारी परबतसर , जिला नागौर, राज.
अज अदालत :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

सुगनाराम पुत्र प्रभूराम जाट निवासी झालरा तहसील परबतसर

.....वादी

बनाम

1.भंवरलाल पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी झालरा
2.राधा पुत्री कामड़राम पत्नी उगमाराम जाट निवासी हाल भड़सियां
3.रूकमादेवी पुत्री कामड़राम फौत के कायम मुकामान
3/1 हीराराम पुत्र गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/2 भींयाराम पुत्र गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/3 छोटूराम पुत्र गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/4 जोराराम पुत्र गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/5 मीरा पुत्री गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/6 सायरी पुत्री गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
3/7 कमला पुत्री गुदड़राम जाट निवासी चिताई तह. परबतसर
4.हल्का पटवारी झालरा
5.तहसीलदार, परबतसर

.....प्रतिवादीगण

दावा बात :– खातेदारी घोषणाा व रेकार्ड दुरूस्ती
मुकदमां नम्बर :– 2018/00151

निर्णय दिनांक :– 17.08.2021

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादी व भंवरलाल कटारियां अधिवक्ता प्रतिवादी 1 से 3 मिनजानिब मुदई रूबरू मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादी का वाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.08.2021 को जारी की गई।

मु

दस्तखतः
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

17/8/21
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक		NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL